फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील जीसीएमएस नंबर 2022/391 बअनवान भीखसिंह राजपुरोहित बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बेंडा

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री पूर्णेश कुमार बोहरा उपस्थित। रेस्पोंडेण्ट सं 1 के अधिवक्ता श्री हेमंत बोहरा उपस्थित। रेस्पोंडेण्ट सं 2 से 7 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की मयाद के बिंदु एवं अपील के संबंध में प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियों के संबंध में बहस सुनी गई। रेस्पोंडेण्ट सं 2 से 7 के अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई कि न्यायालय में उक्त अपील नामांतरकरण सं 2168 दिनांक 07.02.2022 के विरूद्ध दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत की गई है, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है। विधिक प्रावधानों के अनुसार अपील को मयाद में शुमार करने हेतु धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश करना होता है जो उपतहसील में प्रस्तुत नही होने से अपील मयाद बाहर है इसके साथ ही अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा दलील दी गई कि विवादास्पद नामांतरकरण स्वीकृति से पुर्व ग्राम पंचायत बेडा की बैठक में प्रस्ताव सं 23 लिया गया। तथा उक्त प्रस्ताव के पश्चात ही उक्त नामांतरकरण बेचान का होने से सरपंच ग्राम पंचायत बेडा द्वारा दिनांक 07.03.2022 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार उक्त नामांतरकरण में किसी प्रकार की त्रुटि होना भी ज्ञात नही है जिससे मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं 2 से 7 की ओर से आरआरटी 2009–10(एसयुपीपी.) बअनवान Sneh gupta vs Devi Sarup and others में दिनांक 17.02.2009 की प्रति पेश की। वकील रेस्पोडेंट की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अपीलांट श्री पूर्णेश बोहरा द्वारा बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि रेस्पोंडेट सं 7 द्वारा विवादास्पद नामांतरकरण ग्राम पंचायत बेडा से मिलावट कर षडयंत्र पुर्वक अपने नाम स्वीकृत करवाया है। तथा यदि कोई आदेश स्वयं में अवैध है तो उसके लिये मयाद का बिंदु आडे नही आता है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा भंवरलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिनांक 14.05.2024 को पारित आदेश प्रति पेश की। अपनी बहस में दलील दी कि अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2022 को जमाबंदी की नकले प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट सं 7 का नाम दर्ज है जिससे दिनांक 20.09.2022 को विवादास्पद नामांतरकरण की नकल प्राप्त की तथा उसके पश्चात 30 दिन के भीतर उक्त अपील दिनांक 22.10.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। जिससे समयावधि के आधार पर अपील खारिज नही की जा सकती इस संबंध में कानूनी दृष्टांत गोविंद बनाम महेंन्द्रकुमार शर्मा दिनांक 13.05.2024 डीएनजे(रेवेन्यु) पेज 731 की फोटोप्रति पेश की। वकील अपीलांट द्वारा बहस में दलील दी गई कि विधिक प्रावधानो के अनुसार नामांतरकरण की जानकारी से समयावधि की गणना की जाने की उपधारणा है। क्योंकि विवादास्पाद नामांतरकरण अपीलार्थी को बिना सुने स्वीकृत किया है। इस संबंध में कानूनी दृष्टांत राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जेएसडब्लु स्टील लिमिटेड (एम/एस) बनाम अभिषेक कुमार के निर्णय कि प्रति पेश की। अपनी दलील के अंत में तर्क दिया कि रेस्पोडेंट सं 1 ने अपने लिखित कथनों के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा नामांतरकरण भूल से स्वीकृत कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि नामांतरकरण रेस्पोडेंट सं 7 के द्वारा षडयंत्र पुर्वक फर्जी दस्तावेज पेश कर स्वीकृत कराया है जो स्वतः ही अवैध होने से राजस्व मण्डल	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अजमेर द्वारा भुरी देवी बनाम ग्राम पंचायत भिधानी के अपील रिवीजन में दिनांक 27.10.2023 को पारित निर्णय में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जिससे विवादास्पद नामांतरकरण झुठे दस्तावेज के आधार पर दाखिल व स्वीकृत होने से नामांतरकरण को निरस्त किये जाने कि दलील दी गई। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस मे उल्लेखित कानूनी दृष्टांत भी न्यायालय के समक्ष पेश किये।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम बेडा प्रथम स्थित भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 9.56 हैक्टर के सहखातेदारान रेस्पोडेंट सं 2 से 6 के द्वारा उक्त धारित सहखातेदारी भूमि में निहित अपना 5/6 हिस्सा का बेचान जरिये प्रतिफल राशि 3 लाख 50 हजार प्राप्त करते हुये बेचान दस्तावेज रेस्पोडेट सं 7 के पक्ष में निष्पादित किया। जिस बेचान दस्तावेज का दिनांक 28.05.2008 को उप पंजीयक बाली द्वारा पंजीयन किया गया। अपनी खरीदसुदा भूमि का अपने नाम नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु रेस्पोंडेंट सं 7 द्वारा शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक करवाते हुये पटवारी हल्का को पेश किया जाने से विवादास्पद नामांतरकरण हल्का पटवारी द्वारा दाखिल करते हुये निरीक्षक भू.अ. बेडा को जांच हेतु पेश किया गया जिनके द्वारा जांच के पश्चात ग्राम पंचायत बेडा में पेश किया गया तथा ग्राम पंचायत बेडा द्वारा अपनी बैठक में प्रस्ताव सं 23 पारित करते हुये विवादास्पाद नामांतरकरण दिनांक 07.03.2022 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलांट की उक्त दलील मानने योग्य नही है कि रेस्पोडेंट सं 7 द्वारा झुठे दस्तावेज के आधार पर विवादास्पाद नामांतरकरण ग्राम पंचायत से स्वीकृत कराया है जबकि नामांतरकरण विधिवत रूप से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बाद मजमा ए आम में सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया है। अपील के संलग्न अपीलांट भीखसिंह द्वारा दिनांक 17.01.2022 को तहसीलदार बाली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन से ज्ञात है कि अपीलांट को रेस्पोडेंट सं 7 के भूमि खरीद की एवं विवादास्पद नामांतरकरण दाखिल व स्वीकृत किये जाने की पुर्ण रूप से जानकारी थी। विधिक प्रावधानों के अनुसार धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते समय मयाद अधिनियम के तहत धारा 5 का प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है परंतु अपीलांट द्वारा मूलभूत नियमों की अनदेखी करते हुये धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश नही किया गया तथा सीधे ही विवादास्पद नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 20.07.2022 को होने का अंकन करते हुये उक्त अपील पेश की गई है। नामांतरकरण के दो आधार होते हैं एक फौतेदगी के आधार पर तथा दूसरा खरीद/हस्तांतरण के आधार पर। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में वर्णित भूमि खरीद में बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया है तथा बिना दस्तावेज के यह उल्लेखित करना कि प्रत्यर्थी सं 2 से 6 के पिता स्व. शेषमलजी से 6 हजार रूपये मे वर्णित भूमि खरीद की थी तथा खरीद के पश्चात कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार अपीलांट के पास कोई भूमि खरीद का दस्तावेज नही होने से नामांतरकरण सं 2168 अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.01.2022 को तहसीलदार बाली को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संपूर्ण जांच के पश्चात ही पटवारी हल्का बेडा द्वारा उक्त नामांतरकरण दिनांक 21.01.2022 को दाखिल किया गया तथा निरीक्षक भू.अ. बेडा द्वारा भी पुर्ण जांच के पश्चात दिनांक 28.01.2022 को जांच के पश्चात ग्राम पंचायत बेडा के पश्चात पेश किया गया। जो ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव सं. 23 के आधार पर दिनांक 07.03.2022 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस प्रकार अपीलांट की उक्त अपील अवधि बाहर है जिससे भी अपील चलने योग्य नही है। परंतु प्रकरण का गुणावगुण के अध्ययन के पश्चात यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि मयाद के अतिरिक्त अपीलांट के पक्ष में

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने का कोई दस्तावेज अपीलांट के पास उपलब्ध नही होने से रेस्पोडेंट सं 7 के पक्ष में विवादास्पाद नामांतरकरण दाखिल होकर स्वीकृत किया जाना प्रमाणित है। जिससे विवादास्पाद नामांतरकरण के संबंध में ग्राम पंचायत बेडा द्वारा अपने प्रस्ताव सं 23 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner